न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 2/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता
विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः–राजेश कुमार शिव शंकर, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, जिला दौसा।
2. श्री गोपी शंकर चौधरी
मालिक मैसर्सः– चौधरी एन्टरप्राइजेज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
3. श्री अशोक कुमार गोयल
मालिक मैसर्सः– शिवम फूड प्रोडक्ट्स, 166 बीसी, झोटवाडा ईण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री मक्खन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 अनुपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 बावजूद तामील अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज़. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.03.2014 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्स– राजेश कुमार शिव शंकर, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नही होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में 20 बोतल 410 ग्राम पैकिंग में पैक सरसों तेल (शिवम) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 मूल पैट बोतल X 410 ग्राम सरसों तेल (शिवम) नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 144 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता (एफ.बी.ओ.) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा सरसों तेल (शिवम) की मूल बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–830 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री गोकुल चन्द बैरवा च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 07.03.2014 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 06.03.2014 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.03.2014 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (शिवम) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./174/एक्ट/2014/232 दिनांक 20.03.2014 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (शिवम) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./174/एक्ट/2014/232 दिनांक 20.03.2014 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (शिवम) के लेबल पर **"Best before 12 Months from packaging"** छोटे अक्षरो के स्थान पर बडे अक्षरों में प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./174/एक्ट/2014/232 दिनांक 20.03.2014 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (शिवम) लेबल पर जानकारी गलत अंकित होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा सरसों तेल (शिवम) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः–राजेश कुमार शिव शंकर, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, जिला दौसा पर 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये), अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्री गोपी शंकर चौधरी मालिक मैसर्सः– चौधरी एन्टरप्राइजेज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा पर 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 श्री अशोक कुमार गोयल मालिक मैसर्सः– शिवम फूड प्रोडक्ट्स, 166 बीसी, झोटवाडा ईण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर पर 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.09.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 1899-1903
दिनांकः– 13 .09.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता
   विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः–राजेश कुमार शिव शंकर, मैन मार्केट, नांगल राजावतान, जिला दौसा।
4. श्री गोपी शंकर चौधरी
   मालिक मैसर्सः– चौधरी एन्टरप्राइजेज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
5. श्री अशोक कुमार गोयल
   मालिक मैसर्सः– शिवम फूड प्रोडक्ट्स, 166 बीसी, झोटवाडा ईण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official